राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर

फोन न0 01582-240859 E-Mail :- pdatma_nagaur@rediffmail.com

क्रमाक/आत्मा/नागौर/लेखा/2017-18/ 719-24 दिनांक :- 03.08.17

निविदा संख्या 03/17-18

आत्मा योजना की गतिविधियों हेतु भोजन,स्टेशनरी एवं किराये की बस हेतु निम्न विवरण अनुसार खुली बोली आमन्त्रित की जाती है। उक्त निविदा को http://sppp.raj.gov.in पोर्टल व कृषि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर भी देखा/डाऊनलोड किया जा सकता है ।

क्र.स.	कार्य का विवरण	निविदा शुल्क	अनुमानित राशि (लाखोंमें)	बयाना/धरोहर राशि (हजारों में)	निविदा फार्म प्राप्त करने की दिनांक	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक	निविदा खोलने करने का समय
1.	बस	400/-	8.00	16000/-	04-08-17 से 23-08-2017 को सांय 6.00 बजे तक	24-08-17 को 11.00 AM तक	24-08-17 को 3.00 PM
2.	अल्पाहार व भोजन व्यवस्था एवं सप्लाई	400/-	9.50	19000/-	04-08-17 से 23-08-2017 को सांय 6.00 बजे तक	24-08-17 को 11.00 AM तक	24-08-17 को 3.00 PM
3.	स्टेशनरी	400/-	2.50	5000/-	04-08-17 से 23-08-2017 को सांय 6.00 बजे तक	24-08-17 को 11.00 AM तक	24-08-17 को 3.00 PM

(शंकरराम बेड़ा)
उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर

क्रमाक/आत्मा/नागौर/लेखा/2017-18/ 719-24 दिनांक :- 03.08.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि सीकर खण्ड सीकर।
2. श्रीमान एनलिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर उक्त निविदा अपलोड कराने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
4. लेखा शाखा/भंडारपाल कार्यालय हाजा।
5. संपादक,राजस्थान पत्रिका नागौर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा को न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करावे तथा डीपीआर दर से बिल इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।
6. संपादक,सांध्य ज्योति दर्पण नागौर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा को न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करावे तथा डीपीआर दर से बिल इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।

(शंकरराम बेड़ा)
उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर

फोन न0 01582-240859 E-Mail :- pdatma_nagaur@rediffmail.com

निविदा फार्म शुल्क – 400

नकद / बैंकर चैक / डीडी संख्या ....

दिनांक.....................

जारी दिनांक ....

उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा, नागौर

निविदा सूचना संख्या 3(2) 2017–18 (भोजन / अल्पाहार / व्यवस्था)

निविदा फार्म

1.	निविदा सूचना संख्या	क्रमांकः–आत्मा / नागौर / लेखा / निविदा–03 / 2017–18 / दिनांकः– 03.08. 2017
2.	अमानत राशि 19000 / –	बैंकर चैक / डीडी नं.............. दिनांक .... राशि ....
3.	निविदा प्रस्तुत करने वाली का नाम व पूर्ण पता	निविदा दाता / व्यक्ति / फर्म का नाम .... टैलीफोन नं. .... मोबाईल नं...................
4.	संलग्न दस्तावेज	पैन नं0 .... (छाया प्रति संलग्न करें) जीएसटी नं0 .... (यदि लागू हो तो, अन्यथा लागू नहीं होने की स्वयं की घोषणा) फूड लाईसेंस नं0 .... (छाया प्रति संलग्न करें)
5.	निविदा फार्म विक्रय करने की तिथि व समय निविदा जमा कराने की तिथि व समय निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 08.08.2017 से 23.08.2017 को 06.00PM तक दिनांक 24.08.17 को 11.00 AM दिनांक 24.08.2017 को 03.00 PM
6.	अनुबंध अवधि	वित्तीय वर्ष 2017–18 मे जब आवश्यकता होने के आधार पर दिनांक 31.03.18 तक (अनुबंध अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।)
7.	कार्य का विवरण	वर्ष 2017–18 जब आवश्यकता हो के आधार पर कृषक प्रशिक्षण / कृषक भ्रमणों / किसान मेला एवं अन्य गतिविधियों हेतु अल्पाहार व भोजन की व्यवस्था करना
8.	प्रस्तावित दर	प्रस्तावित दरे रूपये समस्त कर सहित प्रति व्यक्ति फुल डाईट (भरपेट भोजन)

9.	कार्य का विवरण		अनुमानित लागत
1	प्रशिक्षण / भ्रमण / बैठक स्थल पर अल्पाहार – (चाय–2, मिठाई 50 ग्राम, कचौरी / समोसा / पोया–100 ग्राम) (1) क्षैत्र :– जिला मुख्यालय		50 / –
2	प्रशिक्षण / गोष्ठी / अन्तः जिला भ्रमण के दौरान प्रति दिवस **अल्पाहार** – चाय–2, कचौरी / समोसा / पोया–100 ग्राम, भोजन एक समय (दाल–बाटी चूरमा देशी घी में / खीर, पुड़ी, सब्जी रायता, सलाद)		100 / –
3	प्रशिक्षण / गोष्ठी / भ्रमण के दौरान प्रति दिवस		
	(1) जिला मुख्यालय	अल्पाहार –चाय–2, कचौरी / समौसा / पोया– 100 ग्राम,	200 / –
	(2) राज्य में	भोजन दोनो समय – चपाती / पुड़ी, सब्जी, रायता, सलाद,	250 / –
	(3) राज्य से बाहर	मिठाई 50 ग्राम एवं ठहराया व्यवस्था	350 / –

1. उपरोक्त प्रस्तुत दरें 31 मार्च 2018 तक के लिए विधि मान्य है।
2. भोजन की मात्रा भरपेट होगी।
3 निविदा फार्म का वेब साईट से डाउनलोड करने पर निविदा फार्म का शुल्क डीडी / नकद निविदा के साथ जमा करानी होगी।

मैने / हम उक्त कार्य अनुमानित दर के.............................. प्रतिशत (अक्षरे .... अधिक / कम) दर पर करने के लिए सहमत हूं।

निविदादाता / बोलीदाता के हस्ताक्षर

मैने / हमने उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई निविदा की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया लिया है तथा मुझे / हमें निविदा की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठो पर उल्लेखित शर्तो को मेरे / हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

निविदादाता / बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर

फोन न0 01582-240859 E-Mail :- pdatma_nagaur@rediffmail.com

निविदा की शर्तें

कार्यालय द्वारा वर्ष 2017–2018 मे आत्मा योजनान्तर्गत आयोजित कृषक प्रशिक्षण / कृषक भ्रमणों / किसान मेला एवं अन्य गतिविधियों हेतु चाय नाश्ता भोजन उपलब्ध कराने हेतु निविदा संख्या 03 / 2017–18 की शर्ते निम्नानुसार है। निविदादाता को निविदा फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तो को ध्यान पूर्वक पढे एवं प्रत्येक पृष्ठो पर अपने हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करे ।

1. इच्छुक निविदादाता को निविदा मे दिये गये निर्देशों के अनुसार निविदा फार्म इस कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते हैं।
2. निविदा के साथ (पैन नम्बर , जीएसटी नम्बर, फूड लाइसेंस प्रमाण पत्र, यह समस्त दस्तावेज संलग्न होना आवश्यक है इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
3. प्रस्तुत दरें समस्त कर सहित प्रस्तुत करें जिसमे समस्त प्रकार के कर सम्मिलित हो ।
4. किसी भी प्रकार की शर्ते संलग्न नही करे सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. इस वर्ष से लागू पंजीयन एव मुद्रांक विभाग द्वारा निर्धारित पंजियन शुल्क 0.25 प्रतिशत दर से देय जो निविदा की राशि पर देय है का भुगतान निविदादाता को चुकाना होगा ।
6. निर्धारित अमानत / बिड सिक्योरिटी राशि 19000 / – का तथा फार्म शुल्क 400 / – निविदा खोलने से पूर्व निर्धारित दिनांक तथा समय पर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना होगा। निविदा स्वीकार होने के पश्चात तीन दिवस के भीतर या जो दिनांक निर्धारित कि जावे तक निर्धारित करार एवं धरोहर राशि प्रस्तुत नहीं करने पर प्राप्त अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. निविदा स्वीकार होने के पश्चात् निर्धारित तीन दिवस या जो समय निर्धारित किया जावे के नियमानुसार पांच प्रतिशत की दर से राशि 47500 / – अक्षरे सेंतालीस हजार पांच सौ रूपये जमा करानी होगी जो कार्य संतोष जनक रूप से पूर्ण होने पर एवं फर्म द्वारा समस्त बकाया कर (जीएसटी) आदि जमा के चालान प्रस्तुत करने पर एवं कोई राशि बकाया नहीं होने के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्ण संतुष्ट होने पर लौटाई जावेगी। निविदा स्वीकार होने के पश्चात नियमानुसार (पंजीयन एव मुद्रांक विभाग के आदेश अनुसार 0.25 प्रतिशत) 2375 रूपये के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार कर नोटेरी द्वारा नोटरी करवा कर प्रस्तुत करना होगा, इसके प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। इस पर व्यय समस्त खर्चे का भुगतान निविदादाता का होगा। कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नही किया जावेगा।
8. देय भुगतान में से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।
9. अन्य देय समस्त कर लागू होने की स्थिति मे भुगतान निविदादाता को ही करना होगा, विभाग द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. निविदादाता को भुगतान करने से पूर्व भुगतान पर देय समस्त कर की राशि संबंधित विभाग में जमा करा कर चालान प्रति प्रस्तुत करनी होगी उसके पश्चात ही देय भुगतान निविदादाता को किया जावेगा। आप द्वारा देय कर राशि जमा नहीं कराने पर एवं बकाया राशि होने पर नियमानुसार जमा धरोहर राशि में से काटी जाकर संबंधित विभाग में जमा करायी जावेगी। जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. निविदादाता भोजन व्यवस्था के अधिकृत एव अनुभवी फर्मो / व्यक्तियो द्वारा प्रस्तुत की जावे।
12. ग्राम / पंचायत समिति / जिला स्तर / जिले से बाहर / राज्य से बाहर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों / भ्रमणों / मेले एवं अन्य गतिविधियों में उपस्थित कृषको हेतु प्रति दिन भोजन उपलब्ध कराना है। कृषकों की संख्या में वृद्धि होने पर उस स्थान पर भी उपरोक्तानुसार भोजन उपलब्ध कराना होगा।
13. निविदादाता को जिले में ग्राम / पंचायत समिति / जिला स्तर / जिले से बाहर / राज्य से बाहर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों / भ्रमणों / मेले एवं अन्य गतिविधियों में तय दिनांक एवं समय पर भोजन सप्लाई एव उपलब्ध कराना होगा। प्रशिक्षण स्थल एव दिनांक समय एवं स्थान से आपको अवगत कराया जावेगा।
14. प्रशिक्षणों / मेले एवं अन्य गतिविधियों स्थल पर भोजन पहुंचाने का समस्त व्यय तथा वाहन आदि का खर्च निविदादाता का होगा। (भ्रमण के दौरान नागौर जिलें में / जिले एवं राज्य के बाहर वाहन सुविधा विभागीय रहेगी।)
15. खाना उच्च गुणवता युक्त शद्ध देशी घी में निर्मित चुपड़ी चपाती एव सब्जियां शुद्ध मुंगफली के तेल मे बनी हुई होनी चाहिए।
16. खाना पकाने एव खाना खिलाने हेतु समस्त प्रकार के बर्तन एव अन्य सामग्री की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के स्तर पर करनी होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
17. निविदादाता को निविदा के समस्त पृष्ठो पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा शर्तो एवं समझौते पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है। इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
18. निविदादाता के भुगतान की कुल राशि मे से नियामानुसार आयकर की कटौती व अन्य आवश्यक करों की कटौती की जावेगी तथा भोजन पर देय वाणिज्य कर विभाग को टैक्स एव सेवा कर आदि का समस्त भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा। निविदादाता को ही जमा करा कर रसीद / चालान कार्यालय मे प्रस्तुत करनी होगी। इस कार्यालय द्वारा अतिरिक्त किसी कर का भुगतान नही किया जावेगा।
19. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

उप निदेशक कृषि एवं (जय कुमार शर्मा)
पदेन परियोजना निदेशक

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
कार्या. उपनिदेशक कृषि (वि.), जि.प. नागौर

20. प्रस्तुत दरे वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए दिनांक 31.3.2018 तक के लिए ही मान्य होगी। इस अवधि को आपसी सहमति से ही बढाया जा सकेगा ।

21. निविदादाता को चाय, नाश्ता, भोजन आदि की आपूर्ति स्वयं के खर्चे पर वांछित प्रशिक्षण स्थलो पर करनी होगी।

22. निविदादाता को चाय नाश्ता भोजन निर्माण में उच्च क्वालिटी की सामग्री प्रयुक्त करनी होगी।

23. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उसे भाड़े पर नहीं देगा ।

24. निविदादाता द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार भोजन नहीं होने पर उसका भुगतान नही किया जावेगा तथा उस समय पर खर्च हुए अतिरिक्त व्यय के समस्त भुगतान की कटौती निविदादाता को देय भुगतान में से कटौती की जावेगी। निर्धारित स्पेसिफिकेशन मे कोई आईटम की कमी होने पर नियमानुसार भुगतान राशि में कटौती की जावेगी।

25. सप्लाई भोजन की उच्च अधिकारियो द्वारा आकस्मिक जांच की जावेगी जिसमे किसी प्रकार की कमी होने पर नियमानुसार भुगतान राशि में कटौती की जावेगी।

26. निम्न गुणवता के कारण उत्पन्न समस्त परिणामो/परिस्थितियो हेतु निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

27. प्रशिक्षण स्थल पर उच्च अधिकारियों एव संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा भोजन की जांच की जावेगी, भोजन एवं भोजन सामग्री की गुणवत्ता सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार भुगतान राशि में कटौति की जावेगी।

28. भोजन की गुणवत्ता पर शिकायत या संशय होने की स्थिति में प्रभारी द्वारा जांच की जावेगी एवं सिफारिश अनुसार कटोती की जावेगी।

29. निर्धारित समय/अवधि मे कार्य सम्पादित नहीं करने पर उस समय की गई चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था की पूर्ण भुगतान राशि की वसूली निविदा दाता से की जावेगी एवं नियमानुसार शास्ती आरोपित की जावेगी एवं हानियो की वसूली की जावेगी।

30. निविदा मे दर्शाये गये कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है।

31. निर्धारित अवधि मे धरोहर राशि जमा नही कराने पर जमा बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी ।

32. संविदा की शर्तो का उल्लंघन करने, कार्य संतोषप्रद नही होने तथा निविदा में सफल होने के उपरान्त भी कार्य नही करने की स्थिति में तथा करार नही करने की स्थिति मे बयाना राशि /धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

33. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एव लेखा नियम के अनुसार लागू होगी जिसका पालन करना होगा।

34. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तो मे संशोधन का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा ।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 34 तक की शर्ते मुझे/हमे स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर

उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा, नागौर

(जय कुमार शर्मा) लेखाकार कम लिपिक

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्या.उप निदेशक कृषि (वि.), जि.प.नागौर

(कमलेश कुमार बेनीवाल) उप परियोजना निदेशक 'आत्मा' नागौर

(रविन्द्र सिंह) उप परियोजना निदेशक 'आत्मा' नागौर